

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

नागौर (109) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री हरेन्द्र मिर्धा

मिर्धा का बास कुचेरा त. मुण्डवा

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:-श्री बी.आर.मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर।

दिनांक:- 03 दिसम्बर 2023

(सुनील कुमार-1)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नागौर -109

(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर)

(सुनील कुमार-1)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नागौर-109

(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the Nagaur (109) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri HARENDRA MIRDHA

MIRDHON KA BAS KUCHERA PIN CODE 341024

sponsored by Indian National Congress (name of the recognised political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Sh. B.R. Mirdha Govt. College, Nagaur

Dated: 03 December, 2023


(SUNIL KUMAR-I)

Returning Officer

Assembly Constituency, Nagaur-109

Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Nagaur

(SUNIL KUMAR-I)

Returning Officer

Assembly Constituency, Nagaur-109

Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Nagaur